(9) पृ.क्रं.-

पिछला	अगला

कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
Tel. (office) 2674212 (Fax) 2551450, E-mail: apccfprot@mpforest.org

क्रमांक/भंडार/795 भोपाल, दिनांक-13-03-2014

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक, राष्ट्रीय उद्यान/टाइगर रिजर्व,
समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
समस्त संचालक/ अनुदेशक वन विद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– वन सुरक्षा हेतु प्रदाय की गई शासकीय बन्दूक एवं रिवाल्वर के चालन, रख–रखाव एवं उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमॉक 1854 दिनांक 27–4–2013, क्रमॉक/ 2337 दिनांक 11–6–2013, क्रमॉक 3037 दिनांक 31–7–2013, एवं क्रमॉक 4571 दिनांक 16–9–2013

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विभाग व्दारा शासकीय वन संपदा तथा वन्य प्राणी की सुरक्षा हेतु आग्नेय शस्त्र प्रदाय किये गये हैं। इन बन्दूकों एवं रिवाल्वरों की सुरक्षा एवं हैन्डलिगं के संबंध में वन मुख्यालय से समय समय पर संदर्भित पत्रों व्दारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। वन विभाग के कर्मचारियों को पुलिस विभाग के आमर्रर की सहायता से शस्त्र के अभिलेखों का संधारण तथा उसके रख–रखाव हेतु उन सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करवाये जो शस्त्र का उपयोग करेगें । जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को शस्त्र प्रदाय किये गये हैं उनको शस्त्र चालन/ हैन्डलिगं हेतु पुलिस की सहायता से प्रशिक्षण करावें ताकि आग्नेय शस्त्रों का सही रख–रखाव हो तथा कोई दुर्घटना से बचाव हो सके । साथ ही शस्त्रों के भौतिक सत्यापन तथा समुचित सुरक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करावें । यदि शस्त्रों की सुरक्षा हेतु उपरोक्त स्थान पर समुचित व्यवस्था न हो तो पुलिस विभाग के अस्त्रागार में आग्नेय शस्त्र जमा करावें।

उपरोक्त पत्रों पर कियान्वयन हेतु मुख्य वन संरक्षक व्दारा समुचित पालन एवं अनुश्रवण की जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।

13.3.14.
(रवि श्रीवास्तव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
मध्यप्रदेश, भोपाल

01